संख्या–1938/15–7–09–1(199)/2009

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2010

विषय:– इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के अन्तर्गत निर्मित विनियमों के अध्याय–7 के विनियम–9(अ),(क) 5 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–परिषद–9/डी0ई0/35 दिनांक 23 सितम्बर, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत निर्मित विनियमों के अध्याय–7 के विनियम–9(अ),(क) 5 में श्री राज्यपाल अधिनियम की धारा–16(2) के अंतर्गत निम्नवत् संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

वर्तमान स्वरूप	प्रस्तावित संशोधन
भूमि– विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत् है:–	भूमि– विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगा :–
1– शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका/टाउन एरिया) में 1,000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा	1– शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका/कैन्टूनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 650 वर्ग मीटर जिसमें 162 वर्ग मीटर क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।
2– ग्रामीण क्षेत्र में 4000 वर्ग मी0 अथवा एक एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। भूमि विद्यालय के प्रबंधक अथवा अन्य किसी	

2

परिषद विनियमों के अध्याय–सात के विनियम–9(अ)(क)–5 में संशोधन।

विनियम संशोधन का प्रारूप

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
भूमि–विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया)निम्नवत् होगा:– 1–शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/कैन्टूनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 650 वर्ग मीटर,जिसमें 162 वर्ग मीटर क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो। 2–ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर जिसमें 648 वर्ग मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो। **टिप्पणी**–पूर्व में विद्यालयों को परिषद द्वारा मान्यता तत्समय प्रचलित जिन नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है उन विद्यालयों की भूमि/क्रीड़ास्थल उसी रूप में स्वीकार किये जायेंगे।	**भूमि**–विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगा:– 1–शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/कैन्टूनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 650 वर्गमीटर, जिसमें 162 वर्गमीटर क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो। 2–ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर जिसमें 648 वर्ग मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो। **टिप्पणी**–पूर्व में विद्यालयों को परिषद द्वारा मान्यता तत्समय प्रचलित जिन नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है उन विद्यालयों की भूमि/क्रीड़ास्थल वर्तमान मानक के अनुरूप होने की दशा में मान्य होंगे। अर्थात उक्त विनियम संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से (**Retrospective Effect**)लागू माने जायेंगे।

(डा0 दलजीत सिंह पुरी)

व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी

कीड़ास्थल— शहरी क्षेत्र के लिए एक वालीवाल खेलने हेतु मैदान (162) वर्गमीटर से कम न होगा) तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 648 वर्ग मीटर का मैदान होना अनिवार्य होगा। कीड़ास्थल विद्यालय परिसर मे होना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्र मे 2000 वर्ग मीटर जिसमें 648 वर्ग मीटर भूमि का कीड़ास्थल होगा। कीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी० की दूरी की परिधि मे भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा कीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो अर्थात विद्यालय की भूमि तथा कीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर—पार न हो।

टिप्पणी— पूर्व मे विद्यालयों को परिषद द्वारा मान्यता तत्समय प्रचिलित जिन नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों की भूमि/कीड़ास्थल उसी रूप मे स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

पृ0 संख्या—1938 (1)/15—7—2009

प्रतिलिपि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
अनु सचिव।

4454/2649
5/11/05